राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या-1 /2000

धन्ना लाल बनाम लक्ष्मी चन्द व अन्य

दिनांक- 11.12.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री एस के शर्मा, अधिवक्ता वास्ते
श्री कमलाकर शर्मा अधिवक्ता- - निगरानीकर्ता की ओर से ।

--

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, अन्ता जिला- बारां द्वारा आपराधिक प्रकरण संख्या- 54/99 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 17.11.99 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके अन्तर्गत विपक्षी- अभियुक्तगण को धारा 379,341,323/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता को निगरानी याचिका की ग्राह्यता पर सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति उभर कर आयी है कि निगरानीकर्ता-परिवादी द्वारा रॉयल कम्पनी का एक थ्रेशर अभियुक्त-विपक्षी लक्ष्मी चन्द से क्रय करना बताया है, जिसके पेटे 27 हजार रूपये भुगतान करना व शेष राशि 37 हजार रूपये बकाया होना अभिकथन किया है तथा यह भी अभिकथन किया है कि उक्त थ्रेशर अभियुक्तगण जबरन ट्रेक्टर में डालकर ले गये इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य की स्थिति उभरकर आयी उसके अनुसार तथाकथित थ्रेशर क्रय करने के संदर्भ में कोइ लिखित संविदा होना कथन नहीं किया गया है और न ही 27 हजार रूपये भुगतान किये जाने के संदर्भ में कोई रसीद ही प्रस्तुत हुई है। थ्रेशर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के 15.20 दिन पहले ले जाना बताया गया है लेकिन कोई निश्चित तारीख भी बताने में असमर्थता व्यक्त की गयी है।

15-20 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है।

अन्वीक्षा न्यायालय द्वारा साक्षीगण की साक्ष्य विरोधाभासी व अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपने आक्षेपित निर्णय से विपक्षी-अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया है, जिसमें हमारे मत से कोई विधि विरूद्धता अथवा अनुचितता परिलक्षित नहीं हो रही है।

फलस्वरूप इस निगरानी याचिका में कोई सार नहीं होने के कारण इसे इसी प्रक्रम पर निरस्त किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे सम्बन्धित न्यायालय का रिकार्ड तुरन्त भिजवायें।

(न्या0 जितेन्द्र राय गोयल)